XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निगरानी 1275–तीन / 03 जिला – बालाघाट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–7–15	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण वर्ष 2003 से लंबित है । प्रकरण में आवेदक पक्ष को अनेकों बार सूचना भेजी गई है परंतु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA CANCELLED TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA CANCELLED पाँच रुपये FIVE RUPEES

श्री......... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार.........
29 JUL 2003
अधीक्षक,
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

R. 1275. III/2003

आयुक्त कार्यालय जबलपुर
में दिनांक 22-8-03 को
प्राप्त

समक्ष न्यायालय : श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

रा·प्र·क्र· अ 6-2002-2003

याचिकाकर्ता --- सुन्दरलाल आत्मज [illegible],
निवासी- लालबर्रा, तहसील वारासिवनी,
जिला- बालाघाट ·

विरूद्ध

उत्तरवादी ---- दिगम्बर वल्द अमर सिंह परधान,
निवासी-ग्राम सावंगी, तहसील वारासिवनी,
जिला बालाघाट·

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता :

याचिकाकर्ता, न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा रा·प्र·क्र· 254 अ-6-97-98 सुन्दरलाल --वि0-- दिगम्बर मे दिनॉक-22/04/2003 को पारित आदेश से परिवेदित होकर के विरूद्ध निम्नलिखित विधिक आधारों पर चुनौती देते हुए पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :--

तथ्य संक्षेप में

1· यह कि याचिकाकर्ता द्वारा 1982 मे उत्तरवादी की माँ द्वारा ख0नं0 98/1 रकबा 1·32 एकड पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर उस पर अपना नामान्तरण विधिवत प्रक्रिया अपनाकर कराया ।

2· यह कि याचिकाकर्ता के पक्ष से संशोधन का दिनॉक 9·1·94 के विरूद्ध उत्तरवादी द्वारा एक रा·प्र·क्र· 19 अ·6-95-96 अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी के समक्ष विलम्ब प्रस्तुत की थी उक्त अपील को संक्षिप्त सारगर्भित आदेश के बिना ही सरसरी तौर पर स्वीकार करने का आदेश दिनॉक 28·10·97 को पारित किया गया है ।

3· यह कि याचिकाकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अविधिक प्रक्रियाविहीन . समयाबाधित अपील को स्वीकार करने के आदेश का